राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

कमांक:प.1(20)साप्र/5/2014 जयपुर, दिनांक: 22.05.2015

आदेश

राज्य के अजमेर स्थित विश्राम भवन में राजस्थान लोक सेवा आयोग के विषय विशेषज्ञ को कोड के आधार पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी आधार पर वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर गोपनीयता बनाये रखने हेतु अन्य विभागों की भर्ती प्रकिया के दौरान ग्रेड–पे 6600/– अथवा इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों (जो कि विश्राम भवन सुविधाओं के लिये पात्र हैं) को X-Code से राज्य के विश्राम भवनों में भर्ती कार्य से आवास करने पर एक माह में अधिकतम 7 दिवस तक अ–i (ग्रुप–ए) की दर पर ठहराने हेतु निम्नानुसार सर्किट हाउस मैन्यूअल में प्रावधान किया जाता है :–

1. विभागाध्यक्ष द्वारा आमंत्रित अधिकारी का विवरण कोड(अंक/अक्षर) के माध्यम से संबंधित प्रबंधक, विश्राम भवन को दिया जावेगा।
2. प्रबंधक द्वारा उल्लेखित दिनांकों में उक्त विभाग का नाम लिखकर कमरों का आरक्षण नोट कर दिया जावेगा।
3. आगन्तुक अधिकारी को विश्राम भवन के स्वागत कक्ष पर विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई कोडिंग दिखाने पर बुकिंग कोड से मिलान करके स्वागतकर्ता कमरे की प्रविष्टि करायेगा जिसमें उसी कोड को नाम के स्थान पर अंकित करायेगा, कार्ड को रिकार्ड में रख लेगा।
4. आगन्तुक पंजिका में पद, विभाग, निवास का पता, आगमन स्थान, प्रस्थान स्थान की प्रविष्टि रिक्त रखी जावेगी। केवल आगमन दिनांक/ समय, प्रस्थान दिनांक/समय आगन्तुक अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा, इसके अनुसार बिल बनाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जावेगा।
5. आगन्तुक अधिकारी द्वारा सर्किट हाउस छोडते समय आगन्तुक पंजिका में नाम, पता एवं समस्त प्रविष्ठियों को पूर्ण करवा लिया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.विशिष्ट सहायक,मा0मंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग को उनके आई.डी.49, दिनांक 9.12.2014 के क्रम में।
2.निजी सचिव/वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3.समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4.समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5.पंजीयक,राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर/जोधपुर।
6.समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।
7.रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव